Total Pages-52

CODE NO. Not to be filled by the Candidate (अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाये)

Time: 3 Hours Maximum Marks : 100 महत्त्वपूर्ण निर्देश∕ IMPORTANT INSTRUCTIONS 1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुरितका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं। 2. "प्रश्न पत्र--सह--उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रौल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा प्रश्न के उत्तर से असम्बधित कोई भी शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रदद कर दी जायेगी। 3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दाण्डिक कार्यवाही हेत् भी उत्तरदायी माना जायेगा। प्रश्नों की संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" में अंकित किये गये हैं। 5. प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी उत्तर निर्धारित जगह में हीं लिखें। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुरितका नहीं दी जायेगी। 7. पलेप पर ''उत्तर के माध्यम'' के चौखाने में भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक विकल्प को ✓ द्वारा चिन्हित करें तथा उत्तर उसी चयनित भाषा में दीजिये। 8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये। यदि "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुरितका" कहीं से कटी-फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र वीक्षक से कह कर उसे बदलवा लें या वीक्षक के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। 10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है। 1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book"; and not at any other place. 2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination. 3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992. The number of questions and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Book". 5. The answers of the questions should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner. 6. The candidate should write the answers in the provided space. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case. 7. Specify an option of language Hindi or English, by ticking 🗸 in box of "Medium of Answer" on the flap and answer in the same opted language. 8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard. 9. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidates will be liable for that. 10. Possession of any type of electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

JS-LP-II-18

Page 1 of 11

Note: Attempt all questions. Marks of each question are mentioned against the question.

नोटः समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष अंकित किये गये हैं।

Question No.1

[03 Marks]

Dinesh, a Hindu Indian Citizen, whose wife and daughter reside in India, goes to Australia for business and after obtaining citizenship of Australia, marries an Australian woman. Whether Dinesh can be prosecuted for bigamy on returning India, by his first wife? Explain with relevant provisions of law.

प्रश्न संख्या 1

दिनेश, एक हिन्दू भारतीय नागरिक, जिसकी पत्नी व पुत्री भारत में रहते हैं, व्यापार हेतु आस्ट्रेलिया जाता है तथा वहां की नागरिकता प्राप्त करने के बाद एक आस्ट्रेलियन महिला से विवाह कर लेता है। क्या दिनेश को भारत वापसी पर उसकी प्रथम पत्नी द्वारा द्विविवाह हेतु अभियोजित किया जा सकता है? विधि के सुसंगत प्रावधानों सहित स्पष्ट कीजिये।

Question No.2

[03 Marks]

Babli, the girl friend of Bunti, gifts her father's laptop to Bunti. Bunti knows that it is her father's laptop. Bunti, without trying to know, whether Babli's father has authorized her or not, takes away the above laptop.

Have, Babli and Bunty committed any offence? Explain with relevant provisions of law.

प्रश्न संख्या 2

बंटी की गर्ल फ्रैंड बबली, अपने पिता का लेपटॉप बंटी को गिफ्ट कर देती है। बंटी को उक्त लेपटॉप का उसके पिता का होना ज्ञात है। बंटी, बिना यह जानने का प्रयास किये कि बबली को उसके पिता ने प्राधिकृत किया है या नहीं, उक्त लेपटॉप लेकर चला जाता है।

क्या बबली व बंटी द्वारा कोई अपराध किया गया है? विधि के सम्बन्धित प्रावधानों सहित स्पष्ट कीजिए।

Question No.3

[03 Marks]

15 years old Chintoo, on being failed in examination, became upset and frustrated by the admonition of his father, calls and takes advice from his maternal uncle Ganesh, who carries business in Bombay. Ganesh asks Chintoo that "you come

JS-LP-II-18

Page 2 of 11

to me, I will make your life." On this, Chintoo, without telling his father, secretly, goes away to Bombay and starts living with Ganesh. Explain with reasons regarding criminal liability of Ganesh.

प्रश्न संख्या 3

15 वर्षीय चिन्टू परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पिता की डांट से परेशान व निराश होकर अपने मामा गणेश, जो कि बम्बई में व्यापार करता है, से फोन कर सलाह लेता है। गणेश चिंटू को कहता है कि "तू मेरे पास आ जा, मैं तेरी लाईफ बना दूंगा।" जिस पर चिंटू अपने पिता को बिना बताये चुपचाप बम्बई चला जाता है और गणेश के साथ रहने लगता है। गणेश के आपराधिक दायित्व के सन्दर्भ में, कारण सहित स्पष्ट करें।

Question No.4

[03 Marks]

"A", who is on bail from High court in a trial for the offence of murder, remains absent without sufficient cause in the trial and does not appear even after issuance of proclamation of the court. What proceedings can be initiated against the accused by the trial court, in such situation?

प्रश्न संख्या 4

"ए" जो कि हत्या के अपराध के विचारण में उच्च न्यायालय से जमानत पर है, विचारण में बिना पर्याप्त कारण अनुपस्थित हो जाता है एवं न्यायालय द्वारा जारी उद्घोषणा के बाद भी उपस्थित नहीं होता है। ऐसी दशा में विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध क्या कार्यवाहियां की जा सकती हैं।

Question No.5

[03 Marks]

A letter in the custody of a Postal Authority, is required to an officer-in-charge of a police station, as an important piece of evidence during investigation of a serious case. The officer-in-charge of the concerned Police Station directs the Postal Authority to deliver him the above letter. Write a short note regarding the legality of such order.

प्रश्न संख्या 5

एक गंभीर मामले के अन्वेषण में थाने के भारसाधक अधिकारी को डाक प्राधिकारी की अभिरक्षाधीन एक पत्र की महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में आवश्यकता है। सम्बन्धित थाने का भारसाधक अधिकारी डाक प्राधिकारी को उक्त पत्र उसे परिदान करने का निदेश देता है। उक्त आदेश की विधिमान्यता के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। JS-LP-II-18 Page 3 of 11

Question No.6

[03 Marks]

In a trial, Ramesh is charged for the offence of Robbery. On completion of trial, no sufficient evidence is found to convict him for the offence of Robbery. However, there is sufficient evidence exist to prove the offence of theft beyond reasonable doubt. In such condition, what order can be passed by the court? Explain with support of relevant provision.

प्रश्न संख्या 6

रमेश को विचारण के दौरान लूट के अपराध का आरोप सुनाया जाता है। विचारण पूर्ण होने पर लूट के अपराध के लिये उसे दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान होना नहीं पाई जाती है, हालांकि चोरी का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा क्या आदेश पारित किया जा सकता है? सुसंगत प्रावधान के समर्थन से स्पष्ट कीजिए।

Question No.7

[03 Marks]

"A" requests "B" to loan him a sum of Rs. 10,000/-. "B" refuses, upon which, "A" stabs "B". In the trial of above offence, whether this fact is relevant that "earlier also in same manner "B" had deadly assaulted the persons who denied for lending money". Explain in brief, narrating the relevant provision.

प्रश्न संख्या 7

"ए" "बी" से 10,000 रूपये उधार देने की प्रार्थना करता है। "बी" मना कर देता है, जिस पर "ए" "बी" को चाकू मार देता है। उक्त अपराध के विचारण में क्या यह तथ्य सुसंगत है कि "पूर्व में भी रूपये उधार देने से मना करने वालों पर "बी" ने इसी प्रकार जानलेवा हमला किया था।" सुसंगत प्रावधान को उल्लेखित कर संक्षिप्त में स्पष्ट करें।

Question No.8

JS-LP-II-18

[03 Marks]

During the investigation of a rape case, statement of a person is recorded under section 164 Cr.P.C. in the court by a Magistrate "M". During trial, prosecution produces "M" as a prosecution witness before the special court and asks him to disclose the procedure of recording of such statement. Whether "M" can be compelled to disclose the above procedure? Explain in the light of relevant provision of law.

Page 4 of 11

प्रश्न संख्या 8

बलात्कार के एक प्रकरण में अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट ''एम'' द्वारा एक व्यक्ति के कथन धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत न्यायालय में लेखबद्ध किये जाते हैं। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष विशिष्ट न्यायालय में ''एम'' को अभियोजन साक्षी के रूप में पेश करता है व उससे उक्त कथन लेखबद्ध करने की प्रक्रिया को प्रकट करने को कहता है। क्या ''एम'' को उक्त प्रक्रिया प्रकट करने को विवश किया जा सकता है? विधि के सुसंगत प्रावधान सहित स्पष्ट करें।

Question No.9

[03 Marks]

"A" tells his wife "B" that "today, I have killed our daughter "C" by strangulation." Whether, "B" can be compelled to disclose above statement in A's prosecution for murder of "C"? Explain briefly in the light of relevant provision of law.

प्रश्न संख्या 9

''ए'' अपनी पत्नी ''बी'' को कहता है कि ''मैंने आज अपनी बेटी ''सी'' की गला दबाकर हत्या कर दी है।'' क्या ''सी'' की हत्या के ''ए'' के अभियोजन में ''बी'' को उक्त कथन न्यायालय में प्रकट करने को विवश किया जा सकता है? विधि के सुसंगत प्रावधान के प्रकाश में संक्षिप्त में स्पष्ट करें।

Question No.10.

[03 Marks]

What is the meaning of "Economic Abuse", under The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005?

प्रश्न संख्या 10

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, के अंतर्गत ''आर्थिक दुर्व्यवहार'' से क्या अभिप्राय है?

Question No.11

[04 Marks]

What procedure shall be adopted by an investigating officer of police station Chandigarh to examine a person residing in Dubai, as a witness? Explain, mentioning appropriate legal provision.

प्रश्न संख्या 11

पुलिस थाना, चंडीगढ़ के किसी अन्वेषण अधिकारी द्वारा दुबई में रह रहे किसी व्यक्ति से गवाह के रूप में पूछताछ करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? उचित विधिक प्रावधान अंकित कर स्पष्ट करें।

Question No.12

[04 Marks]

Whether an accused of non-bailable offence, can be released on bail by the officer-in-charge of a Police Station? Explain with relevant provision of law.

प्रश्न संख्या 12

क्या थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जा सकता है? विधि के सुसंगत प्रावधान सहित स्पष्ट कीजिए।

Question No.13

[04 Marks]

Describe the legal position in respect of variation of conditions of the bond executed under section 4 of the Probation of Offenders Act, 1959.

प्रश्न संख्या 13

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1959 की धारा 4 के अन्तर्गत निष्पादित किये गये बन्धपत्र की शर्तों में परिवर्तन किये जाने से सम्बन्धित विधि की स्थिति उल्लेखित कीजिए।

Question No.14

[04 Marks]

What steps shall be taken by the Juvenile Justice Board at the time of initiation of inquiry, to ensure fair and speedy inquiry of a child in conflict with law?

प्रश्न संख्या 14

विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के सम्बन्ध में जांच प्रारम्भ करने के समय किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ऋजु एवं त्वरित जांच सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जायेंगे?

Question No.15

[04 Marks]

Ramesh is arrested by the police for the allegation of the murder of Mohan. He is taken to Doctor for medical examination. Doctor takes him in the cabin for examination and Police officer remains seated outside. Only Ramesh and Doctor are

JS-LP-II-18

Page 6 of 11

present inside the examination room. Ramesh tells the Doctor that he has shot Mohan and in the like manner, year earlier also, he had shot Hari with the same revolver, which he has thrown into a canal.

Whether the above statement of Ramesh is admissible in evidence as confession? Discuss.

प्रश्न संख्या 15

रमेश को मोहन की हत्या के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। उसे चिकित्सकीय परीक्षण हेतु चिकित्सक के पास ले जाया जाता है। चिकित्सक उसको परीक्षण हेतु कक्ष में ले जाता है तथा पुलिस अधिकारी बाहर बैठा रहता है। परीक्षण कक्ष में केवल रमेश व चिकित्सक ही मौजूद रहते हैं। रमेश चिकित्सक से कहता है कि उसने मोहन की गोली मारकर हत्या की है व इसी प्रकार एक वर्ष पूर्व भी उसने हरी की उसी रिवाल्वर से गोली मारकर हत्या की थी, जिसे उसने एक नहर में फेंक दिया है।

क्या रमेश का उपरोक्त कथन संस्वीकृति के रूप में साक्ष्य में ग्राहृय है? विवेचना कीजिए।

Question No.16	[06 Marks]	
Distinguish the followings-		
प्रश्न संख्या 16		
निम्न को विभेदित कीजिए–		
(A) Abetment and Criminal Conspiracy.		
(अ) दुष्प्रेरण एवं आपराधिक षड्यंत्र।		
(B) Common Intention and Common Object.		
(ब) सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य।		
(C) Summon Trial and Warrant Trial.		

(स) समन विचारण एवं वारण्ट विचारण।

Question No.17

[06 Marks]

What is the provision relating to examination of an accused of rape by medical practitioner? Whether, such examination amounts to violation of legal right of not

JS-LP-II-18

Page 7 of 11

being compelled to be a witness against himself? Explain in the light of leading judgments of Hon'ble Supreme Court.

प्रश्न संख्या 17

बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी से परीक्षा करवाने के सम्बन्ध में क्या प्रावधान है? क्या ऐसी परीक्षा स्वयं के विरूद्ध साक्षी बनने को विवश नहीं किये जाने के विधिक अधिकार का उल्लंघन है? माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रमुख निर्णयों के प्रकाश में स्पष्ट कीजिए।

Question No.18

[06 Marks]

Explicate the followings-

प्रश्न संख्या 18

निम्न को समझाइए-

- (A) May presume.
- (अ) उपधारणा कर सकेगा।
- (B) Shall presume.
- (ब) उपधारणा करेगा।
- (C) Conclusive proof.
- (स) निश्चायक सबूत।

Question No. 19

[06 Marks]

[06 Marks]

To constitute an offence under Section 138 Negotiable Instruments Act, 1881, which are the mandatory conditions precedent of time limits and what are the provisions relating to interim compensation? Explain.

प्रश्न संख्या 19

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अपराध के गठन के लिये समय सीमाओं की आज्ञापक पूर्व शर्ते कौनसी हैं एवं अंतरिम क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में क्या प्रावधान हैं? स्पष्ट कीजिए।

Question No.20

What is "culpable homicide"? When does it amount to murder and when doesn't? Explicate, comprehensively. JS-LP-II-18 Page 8 of 11

प्रश्न संख्या 20

''आपराधिक मानव वध'' क्या है? यह कब हत्या की श्रेणी में आता है व कब नहीं? विस्तृत रूप से व्याख्या करें।

Question No.21

[10 Marks]

Ramlal Lohar is expert in making keys and Ravi is a Computer expert. In mid night of 26.04.2018, Iqbal, Harish, Jaggu and Jeetu pointed a country made pistol at Ramlal & Ravi and threatened them to come with them or else they would be killed. Both, under fear, go with them and as per direction of miscreants, Ravi deactivates the security system of Vikram Jewelers and Ramlal opens the lock. The miscreants remove and take away all the jewelry articles of Vikram Jewelers. Police starts investigation on the report of Vikram Soni, the owner of Vikram Jewelers; obtains Footage of CCTV installed at the show room, from the owner and pursuant to informations given by the four miscreants in police custody, jewelry taken away from Vikram Jewelers was recovered from their houses.

After completion of investigation, four miscreants are prosecuted for main offence and Ramlal & Ravi are prosecuted to active role to aid the above offence.

During trial, prosecution gets examined Vikram Soni to prove the facts as to the CCTV Footage, deactivation of the computer system and identification of jewelry etc. Besides, independent witnesses of seizure of jewelry, investigating officer and other important witnesses are also examined. All the witnesses support the prosecution story.

During examination of accused by court, all the four miscreants stated the case as false. Whereas, accused Ramlal and Ravi stated to commit the alleged act without any intention, due to fear of death. No witness is produced by any of the accused, in their defence.

Write a judgment by mentioning the relevant provisions of law.

प्रश्न संख्या 21

रामलाल लौहार चाबियां बनाने में माहिर है तथा रवि कम्प्यूटर में महारथ रखता है। इकबाल, हरीश, जग्गू एवं जीतू दिनांक 26.04.2018 को मध्य रात्रि में रामलाल व रवि के सिर पर देशी कट्टा तानकर कहते हैं कि उनके साथ चलो वरना जान से मार देंगे। दोनों भयव 1 उनके साथ चले जाते हैं तथा रवि चारों बदमाशों के कहे अनुसार विक्रम ज्वैलर्स के सिक्योरिटी सिस्टम को निष्क्रिय कर देता है Page 9 of 11 JS-LP-II-18

व रामलाल ताला खोल देता है। बदमाश विक्रम ज्वैलर्स का सारा माल लेकर भाग जाते हैं। विक्रम ज्वैलर्स के मालिक विक्रम सोनी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अन्वेषण शुरू किया व मालिक से शोरूम पर लगे सीसी टीवी की फुटेज प्राप्त की व चारों बदमाशों की पुलिस अभिरक्षा में दी गई सूचना पर उनके घरों से विक्रम ज्वैलर्स से ले जाये गये आभूषण बरामद किये गये।

अन्वेषण के बाद चारों बदमाशों को मुख्य अपराध के लिये तथा रामलाल व रवि को उक्त अपराध में सक्रिय सहयोग करने के लिये अभियोजित किया जाता है।

विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा सीसी टीवी फुटेज, कम्पयूटर सिस्टम निष्क्रिय करने व आभूषण की पहचान करने आदि के तथ्यों को साबित करने हेतु विक्रम सोनी को परीक्षित करवाया है। इसके अतिरिक्त आभूषण जब्ती के स्वतन्त्र साक्षीगण, अन्वेषण अधिकारी व अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण को भी परीक्षित करवाया है। सभी साक्षीगण ने अभियोजन कहानी का समर्थन किया है।

न्यायालय द्वारा किये गये परीक्षण में चारों बदमाश अभियुक्तगण ने मामले को झूंठा बताया है। जबकि अभियुक्तगण रामलाल व रवि ने मृत्यु के भय से बिना आशय उक्त कृत्य करने का कथन किया है। सभी अभियुक्तगण द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्षी पेश नहीं किया है।

विधि के सुसंगत प्रावधान अंकित कर निर्णय लिखिए।

Question No.22

[10 Marks]

On 30.06.2019 at 2 pm Anil, Madan and Suresh were returning from college on a Motorcycle. Suddenly, a car bearing number DJ-20-CA-1285 at great speed driven by Naeem Khan, came from the opposite direction and hit the Motor Cycle. Resultantly, both the pillion riders along with rider Madan singh fell down. The Car driver ran away from the spot. Anil died on the spot and Madan got his left leg fractured and Suresh got multiple abrasions. Police started investigation on the report of Suresh and after completion of investigation filed charge sheet against Naeem Khan in the competent court.

Apart from Suresh and Madan, the Medical Jurist Dr. Ravi, who conducted postmortem and examined the injured, Head Constable Karan Singh, who conducted mechanical Inspection of the car and motorcycle, investigating officer Dharmveer Sub-Inspector were examined as prosecution witnesses. All the witnesses supported the prosecution story.

Accused claimed himself to be innocent and alleged that he was not driving the car at the time of said accident and he had falsely been implicated by the police on the basis of mere suspicion.

Page 10 of 11

JS-LP-II-18

Write a logical judgment on the basis of the given facts.

प्रश्न संख्या 22

दिनांक 30.06.2019 को दोपहर 2 बजे, अनिल, मदन व सुरेश एक मोटरसाईकिल पर कॉलेज से लौट रहे थे। अचानक विपरीत दिशा से एक कार नम्बर डीजे—20—सीए—1285 का चालक नईम खान तेज गति से आया व मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी। परिणामतः, मोटरसाईकिल चालक मदन सिंह सहित दोनों पीछे बैठे व्यक्ति सड़क पर गिर गये। कार चालक मौके से भाग गया। दुर्घटना में अनिल की मौके पर ही मृत्यु हो गई व मदन के बायें पैर में अस्थि भंग हुआ व सुरेश के शरीर पर खरोंचे आईं। सुरेश की रिपोर्ट पर पुलिस ने अन्वेषण प्रारम्भ किया तथा अन्वेषण के पश्चात् नईम खान के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पन्न पेश किया।

अभियोजन साक्ष्य में गवाह सुरेश व मदन के अलावा शव परीक्षण व आहतों का परीक्षण करने वाला चिकित्सक डा. रवि, कार व मोटरसाईकिल का यान्त्रिक परीक्षण करने वाला मुख्य आरक्षी कर्ण सिंह व अन्वेषणकर्ता धर्मवीर पुलिस उपनिरीक्षक को प्रस्तुत किया गया। इन सभी साक्षीयों ने अभियोजन कहानी की पृष्टि की।

अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए जाहिर किया कि वह कथित दुर्घटना के वक्त कार नहीं चला रहा था तथा मात्र संदेह के आधार पर पुलिस द्वारा उसे झूठा फंसाया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर एक तर्कसंगत निर्णय लिखिये।
